Appointment of compassionate grounds

2233. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the benefits of appointments on compassionate grounds and life Insurance Scheme are being denied to the families in case of premature death of the workers, who having temporary status, are entitled to get all benefits like temporary Railway employees; and

(b) if so, the reasons and justification for denial of such social justice and relief to the families of the deceased Railwaymen?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). Appointment on compassionate grounds are given only to dependents of deceased or medically incapacited regular Railway employees. Casual labour/substitutes who are granted temporary status are not entitled for the benefit of compassionate appointments and Insurance scheme as they are not regular Railway employees.

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत अतिरिक्त निजी बसें चलाने का प्रस्ताव

2234. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार राजधानी तथा इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त निजी बसें किराए पर लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा उन बसों के लिए कितने शैड बनाने का विचार किया गया है ;

(ग) इन बसों को चलाने की शर्तें क्या होंगी ; और

(घ) क्या इन बसों को चलाये जाने के मामले में अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट आपरेटरों की 1000 बसें अपने अधीन लगानी हैं । इनकी बसों के लिए गैरेज के प्रबंध का उत्तरदायित्व निगम पर नहीं है और वे आपरेटर स्वयं इसकी व्यवस्था करते हैं ।

(ग) मुख्य शर्तें यह हैं कि ये बसें निश्चित रूप से प्रति बस प्रतिदिन 225 किलोमीटर या प्रतिमास 6750 किलोमीटर चलाई जायेंगी ।

स्टेन्डर्ड साइज बसें बस की उम्र	दर
0–2 वर्ष	2.32 रुपये प्रति कि० मी०
2–6 वर्ष	2.05 रुपये प्रति कि० मी०
6 वर्ष से ऊपर	1.85 रुपये प्रति कि० मी०